पत्र सं0–2883 / 86–2017–198 / 2011टीसी–1

प्रेषक,

डा0 बलकार सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग दिनांक 02 नवम्बर, 2017

विषय–भूमिधरी कृषिकीय भूमि पर बाढ़ के कारण जमा बालू/मौरम को हटाकर भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु खनन अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 (यथासंशोधित) के नियम–52'क' में कृषि भूमि के भूमिधर द्वारा भूमि पर बाढ़ के कारण जमा बालू/मौरम को हटाने के सम्बन्ध में निम्नवत् प्राविधान किया गया है :–

**52–क–कृषिकीय भूमि पर खनन अनुज्ञा पत्र स्वीकृत करने की प्रक्रिया :–**

(1) नियम–72 में किसी बात के होते हुए कृषि भूमि का भूमिधर उसकी भूमि पर बाढ़ के कारण जमा बालू और मौरम को हटाने हेतु खनन अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति हेतु प्रपत्र एम0एम0–8 पर तीन प्रतियों में रू0 2000/– (रूपये दो हजार) मात्र की फीस एवं भू–कर सर्वेक्षण मानचित्र की दो प्रतियॉ, जिसमें आवेदित क्षेत्र स्पष्ट रूप से चिन्हांकित हो, जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

(2) जिलाधिकारी यदि आवश्यक समझे तब सम्बन्धित तहसीलदार और खान अधिकारी /खान निरीक्षक के द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर जॉच करा सकता है :–

(क) क्या बालू और मौरम आवेदित भूमि पर बाढ़ के कारण जमा हुए है,

(ख) क्या आवेदक/आवेदकों का नाम आवेदित क्षेत्र में भूमिधर के रूप में अभिलिखित है,

(ग) क्या बालू और मौरम के जमाव के कारण आवेदक/आवेदकों आवेदित क्षेत्र के उपयोग न किये जाने पर क्षति वहन कर रहे है,

(घ) क्या ऐसी भूमि विगत वर्षो में कृषि कार्य हेतु उपयोग की जा रही थी,

(ड़) क्या आवेदक द्वारा उपखनिज की आवेदित मात्रा आवेदित क्षेत्र में उपलब्ध है,

(च) क्या खनन अनुज्ञा पत्र के आवेदित क्षेत्र खनन हेतु उपयुक्त हैं ?

(3) ऊपर उल्लिखित तहसीलदार/खान अधिकारी या खान निरीक्षक जैसाकि अभिप्रेत हो कि बिन्दुवार आख्या के प्रकाश में जिलाधिकारी एक फसली वर्ष में तीन माह से अनाधिक अवधि के लिये भूमिधर के पक्ष में स्वामित्व की धनराशि को अग्रिम रूप से जमा कराकर खनन अनुज्ञा पत्र स्वीकृत कर सकते है।

(4) सिवाय उपरिलिखित उपबन्धों के इस नियमावली के अन्य उपबन्ध इस नियम के अधीन स्वीकृत खनन अनुज्ञा पत्र पर आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

2. अतः वर्णित स्थिति में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भूमिधर कृषकों को अपनी कृषि भूमि पर बाढ़ के कारण जमा बालू/मौरम को हटाकर भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु उक्त नियमावली के प्राविधानों और परिवहन आदि के सम्बन्ध में निर्गत अद्यतन निर्देशों के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 बलकार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्याः (1)/86–2017, तद्दिनांकः–

प्रतिलिपि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 लखनऊ।
2. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हृदय नारायण सिंह यादव)
अनुसचिव।